छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

तृतीय विधान सभा   दशम् सत्र   अंक-03

रायपुर, सोमवार, दिनांक 16 जुलाई, 2012

(आषाढ़-25, शक संवत 1934)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 03 एवं 05 से 12 (कुल 11) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उत्तर दिये गये।

प्रश्न संख्या 04 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्री खेदूराम साहू अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 21 तारांकित एवं 36 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

तारांकित प्रश्न संख्या 05 पर चर्चा के दौरान माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - माननीय मंत्रीगण प्रश्न के दौरान पहले से जानकारियां सुनिश्चित कर लें ताकि कोई माननीय सदस्य यदि प्रश्न से संबंधित पूरी जानकारी चाहते हों तो मुझे लगता है कि जानकारी के लिए किसी की ओर देखना ना पड़े।

2. पृच्छा

डॉ.श्रीमती रेणु जोगी एवं श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, सदस्य द्वारा प्रदेश में महिलाओं के गर्भाशय निकाले जाने संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराए जाने की मांग की गई।

3. व्यवस्था

जिस विषय पर चर्चा हो चुकी है उस विषय पर स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य योग्य नहीं

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - माननीय सदस्यों को यह संज्ञान है कि इस विषय पर प्रश्न के माध्यम से विस्तार से चर्चा हो चुकी है तथा स्थगन प्रस्ताव ऐसी स्थिति में ग्राह्य नहीं किये जाते जब सभा में विषय पर चर्चा जो हो चुकी हो।

स्थगन प्रस्ताव ऐसी कार्यवाही के आधार पर बनाकर "जो अधिकारियों ने विधि के प्रशासन के दौरान की हो" पर भी ग्राह्य योग्य नहीं होते हैं।

सभा में इस विषय पर शासन ने विधि के अंतर्गत की गई कार्यवाही की जानकारी दे दी है तथा की गई कार्यवाही के आधार पर स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य योग्य नहीं है।

मैंने प्राप्त स्थगन प्रस्ताव को कक्ष में अग्राह्य कर दिया है। अब इस पर कोई चर्चा नहीं होगी।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री कोमल जंघेल, संसदीय सचिव ने विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 (क्रमांक 54 सन् 1948) की धारा 69 की उपधारा (5) के पद (क) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के लेखों का वार्षिक विवरण वर्ष 2008-2009,

(2) श्री रामविचार नेताम, उच्च शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 70 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर एवं सरगुजा विश्वविद्यालय, अंबिकापुर के मध्य परिसम्पत्तियों के बंटवारे संबंधी आदेश क्रमांक 1867/1466/09/38-2, दिनांक 19.5.2010, एवं

(1) श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने कम्पनी अधिनियम, 1956 (क्रमांक 1 सन् 1956) की धारा 619-ए की उपधारा (3) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007-2008 एवं 2008-2009,

पटल पर रखे।

5. महामहिम राज्यपाल द्वारा लौटाये गये विधेयक की सूचना

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2005 को पारित "छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण विधेयक, 2005 (क्रमांक 28 सन् 2005)" महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 201 के अंतर्गत दिनांक 13 जुलाई, 2012 को संदेश के साथ लौटाया गया है।

संदेश इस प्रकार है :-

छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा "छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण विधेयक, 2005 (क्रमांक 28 सन् 2005)" पारित कर मेरी अनुमति एवं हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया गया।

उपरोक्त विधेयक मेरे द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत महामहिम राष्ट्रपति जी के विचार हेतु आरक्षित किया गया।

इस संदर्भ में भारत सरकार गृह मंत्रालय का पत्र क्रमांक 17/14/2006 - judl. & PP, दिनांक 01.05.2008 प्राप्त हुआ है, जिसके साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के परंतुक सहपठित अनुच्छेद 200 के अंतर्गत महामहिम राष्ट्रपति जी के निर्देश दिनांक 28.04.2008 प्राप्त हुए हैं, कि इस विधेयक को छत्तीसगढ़ विधान सभा में इस संदेश के साथ वापस किया जाये कि वे इसमें निम्नानुसार विचारों पर आवश्यक संशोधन करने की वांछनीयता पर पुर्नविचार करें :-

"मैं, प्रतिभा देवीसिंह पाटिल, भारत की राष्ट्रपति छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण विधेयक, 2005 जो संविधान के अनुच्छेद 200 के प्रावधानों के अधीन मेरे विचारण के लिये आरक्षित था, उस पर विचार करने के पश्चात् संविधान के अनुच्छेद 201 के परन्तुक के अनुसरण में एतद् द्वारा निर्देशित करती हूं कि इस विधेयक को छत्तीसगढ़ राज्य की विधानसभा को इस निर्देश के साथ पुर्नविचार हेतु लौटाया जाये कि उक्त विधेयक में शामिल कंपनी अथवा कंपनियों से संबंधित संदर्भों को हटाया जाए, क्योंकि चूक करने वाली कंपनियों के विरूद्ध दण्ड के लिये यथा प्रावधान कंपनी अधिनियम 1956 (केंद्रीय अधिनियम, 1956 का 1) में पहले से ही विद्यमान है।"

उपरोक्त को मद्देनजर रखते हुए वर्तमान विधेयक पर पुर्नविचार हेतु भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अनुसार यह विधेयक लौटाया जाता है।

6. महामहिम राज्यपाल द्वारा पुर्नविचार हेतु लौटाये गये विधेयक का पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार सचिव, विधान सभा द्वारा विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 91 के उपनियम (2) की अपेक्षानुसार "छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण विधेयक, 2005 (क्रमांक 28 सन् 2005)" विधान सभा द्वारा यथापारित रूप में तथा महामहिम राज्यपाल द्वारा पुर्नविचार के लिए लौटाये गए रूप में, सदन के पटल पर रखा गया।

7. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य ने जिला रायपुर में डायवर्सन तथा नामांतरण के जटिल नियमों से जनता को परेशानी होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यानाकर्षित किया ।

श्री दयाल दास बघेल, राजस्व मत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(2) सर्वश्री देवजी पटेल, राजकमल सिंघानिया, सदस्य ने प्रदेश में विद्युत बिलिंग में अनियमितता किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यानाकर्षित किया ।

श्री कोमल जंघेल, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया ।

8. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचना पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री परेश बागबाहरा

(2) श्री नंदकुमार पटेल

(3) श्री सौरभ सिंह

(4) श्री देवजी पटेल

(5) डॉ.शक्राजीत नायक

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 8 सन् 2012)

श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन मंत्री ने छत्तीसगढ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 8 सन् 2012) पुर:स्थापित किया।

(2) छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 9 सन् 2012)

श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन मंत्री ने छत्तीसगढ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 9 सन् 2012) पुरःस्थापित किया।

(3) छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 10 सन् 2012)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 10 सन् 2012) पुरःस्थापित किया।

10. महामहिम राज्यपाल द्वारा लौटाये गये विधेयक पर विचार का प्रस्ताव

श्री ननकीराम कंवर, सहकारिता मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा दिनांक 30 मार्च, 2006 को पारित छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी विधेयक, 2006 (क्रमांक 9 सन् 2006) पर महामहिम राष्ट्रपति के निर्देश के अनुसरण में विधेयक के खण्ड धारा 12, 19, 70, 71 पर विचार किया जाये।

(प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।)

श्री ननकीराम कंवर, सहकारिता मंत्री ने संक्षिप्त भाषण दिया एवं प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा दिनांक 30 मार्च, 2006 को पारित छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी विधेयक, 2006 (क्रमांक 9 सन् 2006) को वापस लिए जाने की अनुमति प्रदान की जाये।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

(अनुमति प्रदान की गई।)

11. सदन को सूचना

छत्तीसगढ़ी प्रशासनिक शब्दकोश का विमोचन कार्यक्रम

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज दोपहर भोजन अवकाश में डॉ.श्यामा प्रसाद मुकर्जी प्रेक्षागृह में छत्तीसगढ़ी प्रशासनिक शब्दकोश का विमोचन कार्यक्रम राजभाषा आयोग के द्वारा आयोजित है । समस्त माननीय सदस्य, पत्रकार आमंत्रित हैं ।

12. वर्ष 2012-2013 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान

माननीय अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि -अब अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी । परंपरानुसार सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं और उन पर एक साथ चर्चा होती है। अतः मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि वे सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत कर दें।

(सदन द्वारा सहमति दी गई।)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि :-

दिनांक 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या - 1, 3, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 39, 41, 44, 45, 47, 48, 55, 56, 57, 58, 64, 65, 66, 67, 68, 75, 76, 79, 80, 81 एवं 82 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर **सत्रह सौ इकतालीस करोड़, बयालीस लाख, सैंतालीस हजार, सात सौ साठ रूपये** की अनुपूरक राशि दी जाये।

(प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।)

(1.12 से 3.17 बजे तक अंतराल)

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री परेश बागबाहरा, विरेन्द्र कुमार साहू,

13. अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि अध्यक्षीय दीर्घा में आंध्रप्रदेश के टेक्सटाईल्स मंत्री श्री जी.प्रसाद उपस्थित हैं, सदन उनका स्वागत करता है ।

14. वर्ष 2012-2013 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान (क्रमशः)

श्री धर्मजीत सिंह, डॉ.सुभाऊ कश्यप, सर्वश्री लखमा कवासी, संतोष बाफना,

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा, डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, श्री सौरभ सिंह,

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से कार्यसूची में सम्मिलित कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

डॉ.हरिदास भारद्वाज, श्रीमती अंबिका मरकाम, श्रीमती सुमीत्रा मारकोले, श्री दूजराम बौद्ध, श्री रविन्द्र चौबे।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(अनुपूरक अनुदान मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

15. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2012 (क्रमांक-11 सन् 2012)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2012 (क्रमांक-11 सन् 2012) का पुरःस्थापन किया तथा प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2012 पर विचार किया जाय ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खंड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2012 (क्रमांक-11 सन् 2012) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

सायं 7.43 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनाँक 17 जुलाई, 2012 (आषाढ़, 26 शक संवत् 1934) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा

सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा